भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/06/28/2015/एफ0सी0 /721

दिनॉक : 26-8-15

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषयः जनपद एटा में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 32.33 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम– जिलावली के गाटा संख्या–131 खसरा संख्या–393 (स) पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी32/14–2–2015–800(84)/2015, दिनांक– 07.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव का भाग–4 खाली है। संबंधित राज्य प्राधिकरण द्वारा इसे भरा नही गया है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ–27 एवं 28 में संरक्षित वन भूमि की अधिसूचना को सक्षम क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नही किया गया है।
3. पृष्ठ 45 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र डिजीटल नही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्त को दर्शाते हुए भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र .kml file में प्रस्तुत करें। उक्त भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र की प्रति को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे सी0डी0 एवं पैन ड्राइव के साथ भेजें।
4. पृष्ठ 47 एवं 48 में दी गयी वचनबद्धता संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही है।
5. पृष्ठ 62 पर मानचित्र में index नही दिया गया है एवं मानचित्र पेंसिल से बना है।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मानचित्र डिजीटल नही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्त को दर्शाते हुए भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र .kml file में प्रस्तुत करें। उक्त भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे सी0डी0 एवं पैन ड्राइव इत्यादि में प्रस्तुत करें।
7. पृष्ठ 64 एवं 65 पर संलग्न वचनबद्धता प्रमाण पत्र एक समान है एवं दोनों ही प्रभगीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही किये गये है।
8. प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना नही प्रस्तुत की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

26/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
3. टेरीटरी सेल्स मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0 प्र0।
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली

26/8/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}